न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट सं० 2, गाजियाबाद।

परिवाद संख्या–2263/2024
आशु आस्तीन बनाम सुनील कुमार
अंतर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम
थाना–मधुबन बापूधाम,गाजियाबाद।

दिनांकः–04.11.2025

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। कई बार पुकार करायी गयी। बार–बार पुकारे जाने पर भी परिवादी उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु नियत है, परन्तु परिवादी उपस्थित नहीं आ रहा है न ही परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी को अपने वाद पर बल देने हेतु अंतिम अवसर दिनांक–17.10.2025 को प्रदान किया गया था, परन्तु परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को प्रस्तुत वाद जारी रखने में कोई रुचि शेष नहीं है। अतः पत्रावली को धारा 256 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

पत्रावली धारा 256 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निस्तारित की जाती है। अभियुक्त सुनील कुमार को दोष मुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

दिनांकः–04.11.2025

(समीना जमील)
Jo code–UP2450
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज(सी०डि०),
कोर्ट सं०– 02,गाजियाबाद।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–04.11.2025

(समीना जमील)
Jo code–UP2450
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज(सी०डि०),
कोर्ट सं०– 02,गाजियाबाद।

Digitally signed by Sameena Jameel
Date: 2025.11.11 10:20:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court